



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 2015-आषाढ़ 12, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम सिद्धार्थ महाशब्दे है जो कि वह मेरे घर का नाम है, वास्तव में उसका नाम राघवेन्द्र महाशब्दे है. मेरे पुत्र के पासपोर्ट एवं जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम सिद्धार्थ महाशब्दे है तथा स्कूल के दस्तावेजों में उसका नाम राघवेन्द्र महाशब्दे पिता डॉ. सुधीर महाशब्दे है. अतः उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे पुत्र के ही हैं. जो कि सर्वविदित हो.

भवदीय

**सुधीर महाशब्दे,**

निवासी-6, इंदिरा गांधी नगर, आरटीओ रोड,  
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(153-बी.)

#### CHANGE OF NAME

In the past, my name was Vivek Mandloi. Now, I have changed my name to Vivek Mandrai. Hence now onwards, I should be recognized by name of Vivek Mandrai.

Old Name :

**( VIVEK MANDLOI )**

(166-B.)

New Name :

**( VIVEK MANDRAI )**

138, Mishrilal Nagar Ext. A.B. Road,  
Dewas 455001 (M.P.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रचना गोयल पिता श्री भरत मोदी, उम्र-48 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, निवासी-5, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.) ने अपना नाम परिवर्तन कर अपना नया नाम रचना एम गोयल रख लिया है. अतः आज दिनांक के पश्चात् से मुझे मेरे नये नाम रचना एम गोयल से ही जाना, पहचाना एवं सम्बोधित किया जावेगा. मेरे द्वारा समस्त शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यों में रचना एम गोयल नाम का ही उपयोग किया जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

**( रचना गोयल )**

(167-बी.)

नया नाम :

**( रचना एम गोयल )**

निवासी-5, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Jitendra Singh S/o Mr. Mevaram R/o Khase Ki Paar, Kumhar Maholla, Ward No. 3, Gohad, District Bhind ( M.P.) have changed my name to Jitendra Singh Prajapati.

Old Name :

**( JITENDRA SINGH )**

(168-B.)

New Name :

**( JITENDRA SINGH PRAJAPATI )**

S/o Mevaram.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम नागेन्द्र चौहान पुत्र श्री मुकेश कुमार चौहान मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है। जबकि मेरा सही नाम निखिल चौहान है और अब मुझे मेरे सही नाम निखिल चौहान पुत्र श्री मुकेश कुमार चौहान के नाम से ही जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

**( नागेन्द्र चौहान )**

(169-बी.)

नया नाम :

**( निखिल चौहान )**

पुत्र श्री मुकेश कुमार चौहान,  
प्रगति नगर, न्यू रेशम मिल, आशा बेकरी के पास,  
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, चाली इन्दुलकर पुत्री श्री मुकेश इन्दुलकर, निवासी कुदालकर की गोठ, कम्पू, लशकर, जिला ग्वालियर, सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि जन्म के समय मेरे माता-पिता ने मेरा नाम चित्रगंधा इन्दुलकर रखा था, जिसे परिवर्तन कर नया नाम चाली इन्दुलकर रख लिया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) में मेरा नाम चित्रगंधा इन्दुलकर लिखा है जो मेरे जन्म का नाम है तथा जन्म प्रमाण-पत्र व शैक्षणिक संस्थानों में मेरा नाम चाली इन्दुलकर लिखा है जो मेरा नया नाम है। यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

पुराना नाम :

**( चित्रगंधा इन्दुलकर )**

(170-बी.)

नया नाम :

**( चाली इन्दुलकर )**

पुत्री श्री मुकेश इन्दुलकर,  
निवासी-कुदालकर की गोठ, कम्पू, लशकर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Pintu Chakrobarty son of K.K. Chakrobarty, resident plot No. 6, Takshashila Nagar Khajurikalan Piplani, Bhopal have changed my name to Nilanjeet Chakrobarty. Thereafter I may be Known by my new name Nilanjeet Chakrobarty.

Old Name :

**( PINTU CHAKROBARTTY )**

(171-B.)

New Name :

**( NILANJEET CHAKROBARTY )****उप-नाम परिवर्तन**

मैं, पूनम कुमार मालवीया पिता श्री रामधन जी मालवीया, निवासी-115, शहिद हेमू कॉलोनी, महेश गार्ड लाईन, इन्दौर (म.प्र.) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा समस्त उद्देश्यों के लिये अपना उपनाम "मालवीया" से "विश्वकर्मा" परिवर्तित कर लिया है। अब इसके पश्चात सभी उद्देश्यों के लिये मैं "पूनम कुमार मालवीया" के स्थान पर "पूनम कुमार विश्वकर्मा" के नाम से जाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

**( पूनम कुमार मालवीया )**

(172-बी.)

नया नाम :

**( पूनम कुमार विश्वकर्मा )****उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विपुल पटेल पिता श्री बंसीलाल पटेल, निवासी जलगोन, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश का निवासी हूँ तथा मेरा उपनाम (सरनेम) "पटेल" है। किन्तु टंकन त्रुटि के कारण मेरे कुछ दस्तावेजों में उपनाम "पाटील" अंकित है।

आज से मैं "विपुल पाटील" के स्थान पर "विपुल पटेल" के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा तथा उपनाम "पाटील" के स्थान पर "पटेल" उपनाम घोषित करता हूँ.

पुराना नाम :

( विपुल पाटील )

(180-बी.)

नया नाम :

( विपुल पटेल )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम अमन शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी-एफ-166, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर मध्यप्रदेश था. अब आज दिनांक 19-06-2015 से मेरा नाम अनन्त शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा, निवासी-एफ-166, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर मध्यप्रदेश हो गया है. अतः भविष्य में सभी प्रमाण-पत्रों समव्यवहार एवं कार्यवाहियों में अनन्त शर्मा ही पढ़ा जाये एवं इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( अमन शर्मा )

(181-बी.)

नया नाम :

( अनन्त शर्मा )

पुत्र-शिवकुमार शर्मा  
निवासी-एफ-166, हरीशंकरपुरम,  
ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुन्नु गड़ारी, कार्यालय कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., कोतमा में लाइन मैन के पद पर कार्यरत हूँ. मेरा मूल नाम कुन्नु गड़ारी पिता सरजू गड़ारी है जो सेवा अभिलेखों एवं अन्य में दर्ज है. मेरी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र व अन्य में त्रुटिवश मेरे सही नाम कुन्नु गड़ारी पिता श्री सरजू गड़ारी के स्थान पर कुन्नु राम गड़ारी पिता श्री सरजू राम गड़ारी लेख है. मैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं शाला के अभिलेखों में त्रुटिवश उक्त त्रुटि में सुधार बाबत यह सूचना प्रकाशित करवा रहा हूँ. जिस किसी को आपत्ति हो मेरे अथवा कनिष्ठ यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., कोतमा के समक्ष सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.

पुराना नाम :

( कुन्नु राम गड़ारी )

पिता-श्री सरजू राम गड़ारी.

(182-बी.)

नया नाम :

( कुन्नु गड़ारी )

पिता-श्री सरजू गड़ारी.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम नीता पुरूसवानी था. विवाह के बाद मेरा नाम भावना पारदासानी हो गया है. अतः अब मुझे भावना पारदासानी W/o श्री राजकुमार पारदासानी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( नीता पुरूसवानी )

(183-बी.)

नया नाम :

( भावना पारदासानी )

पता-म. नं. 144, न्यू सिंधी कॉलोनी,  
बैरसिया रोड, भोपाल मध्यप्रदेश.

द्वारा-हेमन्त सिरसट

( कर सलाहकार )

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार,  
लशकर, ग्वालियर.

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम उमेश कुमार रजक है. मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम यही नाम उमेश कुमार रजक पुत्र परसराम रजक दर्ज है. मेरा वर्तमान पता-39, न्यू तुलसी विहार कॉलोनी, सेवानगर किला गेट रोड, ग्वालियर है. चूंकि भविष्य में मैं अपना नाम कुछ सामाजिक कारणों से उमेश कुमार मालवी पुत्र परसराम रजक करने जा रहा हूँ. अतः सूचना प्रकाशन दिनांक से मुझे मेरे सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में उमेश कुमार मालवी के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( उमेश कुमार रजक )

(184-बी.)

नया नाम :

( उमेश कुमार मालवी )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई है मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रदीप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई नाम अंकित है. मुझे सामाजिक, राजनैतिक, व्यवसायिक कार्यभार में प्रबल प्रताप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम प्रबल प्रताप सिंह मावई के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( प्रदीप सिंह मावई )

(185-बी.)

नया नाम :

( प्रबल प्रताप सिंह मावई )

पुत्र-स्व.श्री सोवरन सिंह मावई  
साईं कृपा, जयनगर कोठी, गणेशपुरा,  
मुरैना (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मैं इफ्तिखार अहमद ने अपना नाम बदलकर इफ्तिखार अहमद अंसारी रख लिया है. यह दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में मुझे सभी शासकीय अथवा गैर शासकीय अभिलेखों में मुझे मेरे नये नाम इफ्तिखार अहमद अंसारी के नाम से ही लिखा पढ़ा एवं जाना जावे.

पुराना नाम :

( इफ्तिखार अहमद )

पुत्र-श्री जमील अहमद

(186-बी.)

नया नाम :

( इफ्तिखार अहमद अंसारी )

पुत्र-श्री जमील अहमद अंसारी  
निवासी-शुक्रवारी टौरी शेख घस्सू मुंशी मस्जिद के पास,  
सागर (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Vina Sahni W/o Devneet Singh Sahni. Hereby inform that previously I was called Vineet anand.

From now onwards I shall be called in all records as Vina Sahni W/o Devneet Singh Sahni, resident of 15, Idgah Hills, Bhopal.

Old Name :

( VINEET ANAND )

(187-B.)

New Name :

( VINA SAHNI )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे छोटे पुत्र अवयस्क ताहेर सादीक अली आजाद, निवासी 16, बोहरा बाखल, इन्दौर (म.प्र.) का नाम बदलकर बुरहानुद्दीन सादीक अली आजाद रख लिया है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली है. अतः आज दिनांक से मेरे छोटे पुत्र को बुरहानुद्दीन आजाद पिता सादीक अली आजाद के नाम से जाना-पहचाना जावे. सो विदित होवे.

(189-बी.)

सादीक अली आजाद,  
16, बोहरा बाखल, इन्दौर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अनुराग इंटरप्राइजेज जो कि एक पार्टशिप फर्म है. इस फर्म को भंग किया जा रहा है. फर्म के पार्टनर डॉ. राजीव खरे, अशोक दिक्षित थे. दोनों पार्टनरों में हिसाब हो चुका है और पार्टशिप आज दिनांक 30-04-2015 को भंग हो गई है. यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो आज दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म एण्ड सोसायटी सागर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

(159-बी.)

अनुराग इंटरप्राइजेज,  
राजीव खरे,  
( भागीदार )  
छतरपुर (म. प्र.).

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शाह बल्क कैरियर पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 18-10-2002 को श्री कन्हैयालाल शाह पिता स्वर्गीय श्री मणिलाल शाह, बी-13, एम. आई. जी. कॉलोनी इंदौर, ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं फर्म में श्री जिग्नेश शाह पिता श्री कन्हैयालाल शाह, बी-13, एम. आई. जी. कॉलोनी, इन्दौर नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है।

For : Shah Bulk Carrier,

कंचन बैन,

(Partner).

(173-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स, पता-1104/3, राइट टाउन, जबलपुर जिसका फर्म का रजि. नंबर 3672/12 है, में एक नया पार्टनर श्री राजीव बड़ेरिया पिता श्री एस. डी. बड़ेरिया, पता 1752, सरस्वती कॉलोनी, जबलपुर को पार्टनरशिप डीड दिनांक 29-05-2013 द्वारा जोड़ा गया है। अतः उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, फर्म, बैंक या वित्तीय संस्था, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह मूल दस्तावेजों सहित प्रकाशन दिनांक से दो दिन के अंदर कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दो दिन के बाद की गई किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और दस्तावेजों का पंजीयन करा लिया जायेगा।

भूपेन्द्र कुमार कोष्टा,

(अधिवक्ता)

म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर.

(174-बी.)

**PUBLIC NOTICE U/S. 32 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT**

Public notice is hereby given to whom it may concern that in the firm of M/s Santosh Enterprises, 6, Shastri Nagar, Ratlam (M.P.) registered with the Sub Registrar of firms vide registration No. 07/37/01/00041/10 year 2010-11 dated 13-08-2010. The following partner has been retired w.e.f. 10-02-2012 vide partnership deed dated 10-02-2012:-

Shri D.P. Agrawal S/o Shri Duralalji Agrawal, Age 72 years Karta of HUF known as M/s D.P. Agrawal HUF, 6, Shastri Nagar, Ratlam (M.P.) and Shri Mahesh Agrawal S/o Shri D.P. Agrawal, Age 42 years Karta of HUF known as M/s Mahesh Agrawal HUF, 6, Shastri Nagar, Ratlam (M.P.). Now in the firm there are the following remaining partners:-

1. Shri Mahesh Agrawal S/o Shri D.P. Agrawal.
2. Smt. Kamla Agrawal W/o Shri D.P. Agrawal.
3. Smt. Santosh Agrawal W/o Shri Mahesh Agrawal.

For-M/s Santosh Enterprises,

**MAHESH AGRAWAL**

(Partner).

(190-B.)

**NOTICE**

Under Section 72 of Partnership Act, 1932 it is hereby notified that Mrs. Asha Maheswari has retired from the partnership Firm, M/s Prem Syndicate (Regd. No. 1003/1965-66) w. e. f. 31-03-2015.

For : Saka Trading Pvt. Ltd.

**PADMA KALANI,**

(Partner).

(176-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आस एंड कम्पनी जिसका पता-23-24, हमीदिया रोड, बैरसिया भोपाल मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 01/01/00019/14, वर्ष 2014-15, दिनांक 15-04-2014 पंजीयन फर्म है, जिसमें दिनांक 30-04-2014 से भागीदार गौरव पचौरी पुत्र श्री तुलसीराम पचौरी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बैलखेड़ी, तहसील गोहरगंज रायसेन, मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं आमजन व सर्वजन सूचित हो।

मेसर्स आस एण्ड कम्पनी,

अरनव शर्मा,

(भागीदार)

(177-बी.)

23-24, हमीदिया रोड, बैरसिया भोपाल (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म त्रिमूर्ति कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी, चमत्कारी मंदिर के सामने, फड़नीश की गोठ खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) की फर्म की रचना में दिनांक 01-04-2015 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री संजय शर्मा पुत्र श्री बी. आर. शर्मा, आयु 47 वर्ष, पता-196 चमत्कारी मंदिर के सामने, फड़नीश की गोठ, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
2. श्री सुरेश सचदेवा पुत्र श्री लालचंद सचदेवा, आयु 46 वर्ष, पता-सी-5, समाधिया कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
3. श्री एन. सी. वर्मा पुत्र श्री बालकिशन वर्मा, आयु 47 वर्ष, पता-003, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, सरोदघर के पास, जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

दिनांक 17-02-2014 को उक्त फर्म में उपरोक्त साझेदार थे.—

1. श्री संजय शर्मा पुत्र श्री बी. आर. शर्मा, आयु 47 वर्ष, पता-196 चमत्कारी मंदिर के सामने, फड़नीश की गोठ, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
2. श्री एन. सी. वर्मा पुत्र श्री बालकिशन वर्मा, आयु 47 वर्ष, पता-003, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, सरोदघर के पास, जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
3. श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद कुरेशी, आयु 48 वर्ष, पता-लाला का बाजार वाकले की गोठ, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 01-04-2015.

दिनांक 01-04-2015 को वर्तमान में उपरोक्त साझेदार है.

उक्त फर्म के की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करे एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावे. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव,

(एडवोकेट)

ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(178-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शिव नारायण कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी का पुराना पता-377 ए, जीवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर था तथा वर्तमान पता-एफ-96, आदित्यपुरम दीनदयाल नगर के सामने ग्वालियर है की फर्म की रचना में दिनांक 21-05-2015 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री संदीप दीक्षित पुत्र श्री बृजेन्द्र नारायण दीक्षित, आयु 34 वर्ष, पता-377, जीवाजी नगर, ग्वालियर (म.प्र.).
2. श्री आदर्श शर्मा पुत्र श्री अनुरूद्ध शर्मा, आयु 32 वर्ष, पता-एफ-96, आदित्यपुरम ग्वालियर (म.प्र.).

दिनांक 13-12-2013 को उक्त फर्म में उपरोक्त साझेदार थे—

1. श्री आदर्श शर्मा पुत्र श्री अनुरूद्ध शर्मा, आयु 32 वर्ष, पता-एफ-96, आदित्यपुरम ग्वालियर (म.प्र.).
2. श्री अनुरूद्ध शर्मा, पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा, आयु 62 वर्ष, पता-96, आदित्यपुरम ग्वालियर (म.प्र.).

दिनांक 21-05-2015 को वर्तमान में उपरोक्त साझेदार है.

उक्त फर्म के की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करे एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावे. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव,

(एडवोकेट)

ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(179-बी.)

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म अरिहन्त मारुति बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स में दिनांक 01-01-2015 को निम्न परिवर्तन हुए हैं:-

- साझेदारों में परिवर्तन :- ए-प्रशान्त काडुरकर 2/5, बसन्त विहार योजना, सावेर रोड, उज्जैन एवं बी-दिपेश बगंदर ए-20/5, वेदनगर नानाखेड़ा उज्जैन के स्थान पर 1. प्रतीक जैन, 33/1, पटमागली आगर एवं 2. सुयश जैन माधवगंज रोड, आगर नये साझेदार रहेंगे.
- करोबार का स्थान परिवर्तन:- पूर्व में ए-16, ग्राउण्ड फ्लोर, डिवाईन वेली, देवास रोड, उज्जैन के स्थान पर:- अब कारोबार का स्थान:- अरिहन्त वेअर हाउस बड़ौद रोड, आगर-मालवा, जिला आगर मध्यप्रदेश.

इस परिवर्तन में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में निम्न पते पर आपत्ति मय प्रमाण के प्रस्तुत करें.

मेसर्स—अरिहन्त मारुति बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स

गौतम कुमार,

(भागीदार)

अरिहन्त वेयर हाउस बड़ौद रोड आगर-मालवा

द्वारा—हेमन्त सिरसट

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार,

लशकर, ग्वालियर.

(188-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. 02/बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष

चूँकि श्री सुरेश कुमार पिता श्री चिमनलाल जैन, निवासी मिकी मोहल्ला छोटा चौक, शाजापुर द्वारा श्री बीसा पोरवाल जैन स्थानक वासी पारमार्थिक ट्रस्ट, कसेरा बाजार, शाजापुर, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो कि व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . . नगदी राशि रुपये 4,85,000/-

#### परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . .

अ. वार्ड क्रमांक 08 भवन क्रमांक 64, कसेरा बाजार, शाजापुर एक भवन श्री आनंद रत्न पोरवाल धर्मशाला उक्त सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 6298.90 वर्गफिट होकर उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन इंजीनियर के अनुसार राशि रुपये 63,87,365/- है.

ब. वार्ड क्रमांक 08 भवन क्रमांक 64, कसेरा बाजार, शाजापुर में पोरवाल जैन स्थानक की खुली भूमि उक्त भूमि कुल क्षेत्रफल 7476.65 वर्गफिट होकर उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन इंजीनियर के अनुसार राशि रुपये 29,90,660/- है.

लक्ष्मी गामड,

अनुविभागीय अधिकारी.

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला सागर

### प्रारूप-5

(देखें नियम क्रमांक-5)

[ धारा-7 (2) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 का क्रमांक 30 एवं नियम-5 (1)

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के अनुसार]

समक्ष :- पंजीयक कार्यालय, सार्वजनिक न्यास बीना, तहसील बीना, जिला सागर म.प्र.

चूँकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे तालिका में दर्शाई सम्पत्ति मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-4 में दी परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक न्यास की सम्पत्ति दर्ज करना चाहते हैं, उक्त न्यास को सार्वजनिक न्यास के रूप में वैश्विक मानव जागृति हरि सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट वीरसावरकर वार्ड बीना के नाम से पंजीयन चाहते हैं.

अतएव मैं, सुरेश अग्रवाल, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बीना, जिला सागर मध्यप्रदेश इस सम्बन्ध में नियम क्रमांक 5 की उपधारा-1 के अनुसार दिनांक 25 जून, 2015 को प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव इस सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को रुचि रखते हुये कोई आपत्ति पेश करना चाहते हों वह एक माह के भीतर दो प्रतियों में आपत्ति पेश कर सकते हैं एवं आपत्ति दिनांक को मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हों. उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जायेगा.

(न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

सार्वजनिक न्यास का नाम	:	वैश्विक मानव जागृति हरि सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट
एवं पता	:	वीरसावरकर, वार्ड बीना.
चल सम्पत्ति	:	11,111/- अंकन ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये मात्र.
अचल सम्पत्ति	:	निल.

सुरेश अग्रवाल,

अनुविभागीय अधिकारी.

(359)

## अन्य सूचनाएं

### बॉयलर परिचालक परीक्षा परिषद्, मध्यप्रदेश, इन्दौर

बॉयलर परिचर प्रथम श्रेणी परीक्षा, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 में सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों की सूची

अ.क्र.	फा. नं.	आवेदक का नाम	पता
1	2	3	4
1.	1	श्री राजकुमार सोनी	नागदा
2.	3	श्री विश्वनाथ पाल	सतना
3.	19	श्री विपिन कुमार	नागदा
4.	20	श्री उमेश यादव	गुना
5.	24	श्री मुकेश कुमार कुर्मी	विदिशा
6.	27	श्री भरत कुमार शुक्ला	सतना
7.	43	श्री उत्तम कुमार कश्यप	नरसिंहपुर
8.	47	श्री अभिजीत कुमार पाठक	भोपाल
9.	52	श्री उदय गुरूंग	मैहर
10.	53	श्री दिलिप कुमार पांडे	मैहर
11.	58	श्री संजय कुमार यादव	रीवा
12.	60	श्री विनोद कुमार गौर	जबलपुर
13.	66	श्री करणसिंह राठौर	उज्जैन



1	2	3	4
14.	67	श्री कन्हैयालाल शर्मा	मोडक (कोटा)
15.	69	श्री राकेश कुशवाह	पीथमपुर (धार)
16.	76	श्री मुबारिक अहमद	नागदा
17.	82	श्री राजेश चौरसिया	रीवा
18.	85	श्री रामखिलावन बारले	रीवा
19.	90	श्री नरेन्द्र नायर	कोटा
20.	98	श्री सुरेशप्रसाद लोधी	होशंगाबाद
21.	103	श्री पंकजसिंह	भोपाल
22.	112	श्री इब्राहिम खान	नागदा
23.	113	श्री कप्तान यादव	पीथमपुर (धार)
24.	120	श्री रवि मलिक	नागदा
25.	121	श्री संजीवकुमार मिश्रा	सतना
26.	129	श्री मोहम्मद हुसैन	मंडीदीप
27.	142	श्री कैलाशप्रसाद मिश्रा	सतना
28.	144	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	सतना
29.	147	श्री महिपालसिंह गेहलोद	नागदा
30.	163	श्री प्रेमप्रकाश	धार
31.	181	श्री दशरथ	धार
32.	194	श्री गोविंद माली	नीमच
33.	207	श्री विकास नागवंशी	नरसिंहपुर
34.	209	श्री बिजोय कुमार गौडो	भोपाल
35.	211	श्री विजय मोहने	बुदनी

बॉयलर परिचर द्वितीय श्रेणी परीक्षा, दिनांक 25 मई, 2015 में सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों की सूची

स.क्र.	फा. नं.	आवेदक का नाम	स्थान
1.	2.	3.	4.
1.	1	श्री दीपक कुमार सिंह	नागदा, उज्जैन
2.	3	श्री राकेशकुमार	जबलपुर
3.	4	श्री रीतेश शिंदे	इंदौर
4.	5	श्री राजेश कुमार जैन	सतना
5.	7	श्री राजकुमार यादव	जबलपुर
6.	8	श्री उमाशंकर पटेल	जबलपुर
7.	10	श्री लक्ष्मण चौहान	गुना
8.	15	श्री हनुमानसिंह	उज्जैन
9.	20	श्री राजबहादुर कुमार सरोज	जबलपुर
10.	24	श्री तुषारकांती महतो	गाडरवाडा

1	2	3	4
11.	25	श्री विकास पाठक	रीवा
12.	26	श्री दीपक कुमार मिश्रा	होशंगाबाद
13.	28	श्री पुष्पेंद्र कुमार पाण्डे	सतना
14.	29	श्री शिवप्रसाद कुशवाह	सतना
15.	30	श्री चुडामणि कुशवाह	सतना
16.	31	श्री अनोपसिंह सोलंकी	इंदौर
17.	32	श्री राजेश यादव	कटनी
18.	34	श्री पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता	शहडोल
19.	37	श्री सुबोध कुमार यादव	कटनी
20.	38	श्री अयोध्याप्रसाद	जबलपुर
21.	39	श्री सुमित पाल	गाडरवाडा
22.	40	श्री पवन कुमार	होशंगाबाद
23.	41	श्री चंद्रशेखर बीरघडे	होशंगाबाद
24.	42	श्री रामविलास शर्मा	सतना
25.	43	श्री रविशंकर छीपा	नरसिंहपुर
26.	53	श्री रूचिर बर्मन	होशंगाबाद
27.	55	श्री प्रदीप महाजन	बुरहानपुर
28.	57	श्री सूरजपाल कैथवास	बुरहानपुर
29.	58	श्री पेददी रेडडी ओबुल रेडडी	होशंगाबाद
30.	59	श्री कृष्णकांत कुशवाह	सतना
31.	60	श्री नौशाद खान	धार
32.	62	श्री आशिष कुमार	होशंगाबाद
33.	68	श्री सुरेश मालवीय	शाजापुर
34.	73	श्री राकेशकुमार विश्वकर्मा	सतना
35.	77	श्री महेश सोनी	जबलपुर
36.	93	श्री सोमनाथ अग्रवाल	पीथमपुर
37.	96	श्री विष्णु चांदना	पीथमपुर
38.	116	श्री विरेन्द्र वर्मा	नरसिंहपुर
39.	123	श्री मो. जाहिद	सतना
40.	124	श्री संतोष कुमार तिवारी	रीवा
41.	125	श्री इंद्रभान चतुर्वेदी	सतना
42.	136	श्री दिनेश नागर	राजगढ़
43.	137	श्री फूलचंद विश्वकर्मा	इंदौर
44.	140	श्री मधुसुदन	धार
45.	145	श्री संतोष कुमार दीक्षित	नरसिंहपुर
46.	180	श्री गोविंदप्रसाद कुशवाह	सतना
47.	182	श्री नरेशसिंह	सतना

1.	2.	3.	4.
48.	185	श्री सनील कुमार कुर्मी	नरसिंहपुर
49.	186	श्री दीपक कुमार कनौजिया	जबलपुर
50.	191	श्री नरेश कुमार मेहरा	मंडीदीप
51.	209	श्री शत्रुहनलाल वर्मा	नरसिंहपुर
52.	213	श्री दीपक कुमार मलैया	बैतूल
53.	214	श्री संजय कुमार यादव	चित्तोडगढ़
54.	215	श्री शेरू मोहम्मद	नीमच
55.	217	श्री अखिलेश कुमार कुलश्रेष्ठ	धार
56.	220	श्री थानसिंह	बालाघाट
57.	222	श्री सतीश ग्यालिसराम फटिंग	नरसिंहपुर
58.	227	श्री दिलीपकुमार तिवारी	रीवा
59.	231	श्री अतुल कुरील	भोपाल
60.	233	श्री सुनिल कुमार यादव	जबलपुर
61.	235	श्री टेकसिंह	बालाघाट
62.	238	श्री हासिम बक्स	रीवा
63.	239	श्री शुभम विश्वकर्मा	इंदौर
64.	240	श्री रोशन अहिरवार	सागर
65.	241	श्री ब्रजलाल धाकड़	नरसिंहपुर
66.	248	श्री अवधलाल पटेल	इंदौर
67.	251	श्री मनिन्दरसिंह	उज्जैन
68.	253	श्री कन्हैया कुमार	भीलवाड़ा (राज.)
69.	254	श्री उपेन्द्र कुमार	भीलवाड़ा (राज.)
70.	263	श्री सुरेश मेवाड़ा	शाजापुर
71.	267	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	नरसिंहपुर
72.	270	श्री रामाधार प्रसाद	जबलपुर
73.	280	श्री शहाबुद्दीन कुरेशी	ग्वालियर
74.	281	श्री शब्बीर साह	ग्वालियर
75.	290	श्री कमलेश बम्बोरिया	नीमच
76.	291	श्री गोवर्धन चौरे	होशंगाबाद
77.	299	श्री अजयसिंह	शहडोल

जी. पी. पटेल,

सचिव.

(354)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा उज्जैन सिक्युरिटी गार्ड स्वायत्त सहकारिता मर्या., जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 76, दिनांक 01 जनवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अशोक मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(355)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1172.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 30 नवम्बर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(355-A)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1173.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैथल जिसका पंजीयन क्रमांक 1682, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(355-B)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1174.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ शरदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलसी जिसका पंजीयन क्रमांक 1659, दिनांक 18 फरवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-C)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1175.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा उज्जवल भविष्य साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1752, दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-D)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1176.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा श्री गणेश प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1708, दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-E)

उज्जैन, दिनांक 26 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/1177.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा गुरुकृपा श्रमिक ठेका सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1709, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 520, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1488, दिनांक 06 जुलाई, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिलीप असरानी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(340-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा आयकर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 06 अक्टूबर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(340-H)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	अपेक्षा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खाचरोद	1287/27-08-1994

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण

कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	अपेक्षा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खाचरोद.	1287/27-08-1994	श्री आर. एल. परमार, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(255-G)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1144.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवीखेड़ा	1065/01-10-1992
2.	जलकृषि मछुआ सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	822/12-12-1988

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्थाओं के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवीखेड़ा	1065/01-10-1992	श्री संतोष साकलिया, सह. निरी.
2.	जलकृषि मछुआ सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	822/12-12-1988	श्री आर. एल. नागर, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-A)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1145.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	940/15-09-2001
2.	शिवशक्ति महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	1754/23-09-2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्थाओं के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	940/15-09-2001	श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि.
2.	शिवशक्ति महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर.	1754/23-09-2010	श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-B)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/1146.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	वनखेतीहर मजदूर सहकारी संस्था मर्या., डाबरी	1159/19-07-1994
2.	महाकाल वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., गिदगढ़	1642/14-06-2004
3.	किसान वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., झाझाखेड़ी	1658/13-10-1999
4.	दिनदयाल वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., दोत्रु	1666/23-03-2005

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्थाओं के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	वनखेतीहर मजदूर सहकारी संस्था मर्या., डाबरी	1159/19-07-1994	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
2.	महाकाल वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., गिदगढ़	1642/14-06-2004	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
3.	किसान वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., झाझाखेड़ी	1658/13-10-1999	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
4.	दिनदयाल वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., दोत्रु	1666/23-03-2005	श्री आर. एल. परमार, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-C)



उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1147.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	ग्रामीण कुमारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोरा	590/01-07-1982
2.	साईनाथ ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खाचरोद	1767/08-04-2011
3.	विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सण्डावदा	1631/10-02-2004
4.	गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., निपानियाँ	1645/25-05-2005
5.	माँ सती जी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रजला	1658/18-02-2005
6.	महिदपुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	1723/03-03-2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	ग्रामीण कुमारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोरा	590/01-07-1982	श्री आर. एल. नागर, स. नि.
2.	साईनाथ ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खाचरोद	1767/08-04-2011	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
3.	विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सण्डावदा	1631/10-02-2004	श्री आर. एल. मेहर, स. नि.
4.	गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., निपानियाँ	1645/25-05-2005	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
5.	माँ सती जी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रजला	1658/18-02-2005	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
6.	महिदपुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	1723/03-03-2009	श्री मुकेश जोशी, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-D)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1148.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	बलवीर सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1533/10-10-2000
2.	हिन्दुस्तान सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1591/18-07-2002
3.	बाबारामदेव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1712/11-03-2008
4.	विकास कामगार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	997/26-02-1991
5.	हम्माल तुलावटी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	8/29-08-2001
6.	महाकाल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1721/06-02-1991

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	बलवीर सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1533/10-10-2000	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.
2.	हिन्दुस्तान सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1591/18-07-2002	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.
3.	बाबारामदेव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1712/11-03-2008	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.
4.	विकास कामगार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	997/26-02-1991	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.
5.	हम्माल तुलावटी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	8/29-08-2001	श्री दिलीप दन्देलिया, स. नि.
6.	महाकाल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1721/06-02-1991	श्री दिलीप दन्देलिया, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-E)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1149.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	समृद्धि महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1696/23-05-2007
2.	नाकोड़ा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	1459/21-07-1997
3.	श्रमिक साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1489/09-09-1998
4.	क्षिप्रा लिफ्ट एरिकेशन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1687/16-06-2006
5.	आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1461/11-08-1997
6.	एस. एम. डी. साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	67/11-12-2003
7.	स्वयं सिद्ध महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	113/20-05-2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	समृद्धि महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1696/23-05-2007	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
2.	नाकोड़ा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	1459/21-07-1997	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
3.	श्रमिक साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1489/09-09-1998	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
4.	क्षिप्रा लिफ्ट एरिकेशन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1687/16-06-2006	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
5.	आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1461/11-08-1997	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
6.	एस. एम. डी. साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	67/11-12-2003	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.
7.	स्वयं सिद्धा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	113/20-05-2009	श्री एन. पी. बहोरे, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(340-F)

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 मार्च, 2015

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सूरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	90/27-02-2008	671/09-03-2015
2.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	24/01-05-2002	671/09-03-2015
3.	अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	71/07-03-1981	718/17-03-2015

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके

रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक्सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

आर. एल. नागर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(357)

### कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./14/389, उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी, 2014 के द्वारा मुझे प्रीमियर सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 605, दिनांक 05 मई, 1983) का परिसमापक नियुक्त किया है।

अतः मैं, एन. के. राय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक्सूचना आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. के. राय,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(358)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत ]

माँ रेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतापुर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर. (के. आर. जी. एन.)/1533, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1014/1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्रीमति प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में माँ रेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतापुर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर. (के. आर. जी. एन.)/1533, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है—

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत् प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी।
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्रीमति प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी।

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

नामांकित कार्यकारिणी:-

1.	श्रीमति सुनिता कमलकिशोर	अध्यक्ष
2.	श्रीमति कंचन गेंदालाल	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति भगवतीबाई	संचालक
4.	श्रीमति गोरबाई	संचालक
5.	श्रीमति पुष्पाबाई	संचालक
6.	श्रीमति मंजुबाई	संचालक
7.	श्रीमति लीलाबाई	संचालक
8.	श्रीमति ललिताबाई	संचालक
9.	श्रीमति सावित्रीबाई	संचालक
10.	श्रीमति कृष्णाबाई	संचालक
11.	श्रीमति रितुबाई	संचालक

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(341)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 18 मई, 2015

क्र./588/परि./2015.—संत विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-40, दिनांक 10 नवम्बर, 1989 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-65/2003 एवं संशोधित आदेश क्रमांक-1003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय बॉडी कार्पोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भारत सिंह चौहान,  
उप-पंजीयक.

(342)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

मालगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवई, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/108, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए मालगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवई, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये।

(343)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जवानिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/109, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जवानिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अमितसिंह, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये।

(343-A)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

प्रगतिशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कालियावाव, जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/110, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए प्रगतिशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कालियावाव, जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अमितसिंह, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये।

(343-B)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/111, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-C)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जोबट, जिसका पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/112, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जोबट, जिसका पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री श्याम छत्तरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-D)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/113, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-E)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामन्दा, जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/114, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामन्दा, जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-F)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डवाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 25 अगस्त, 2010 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/115, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डवाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 25 अगस्त, 2010 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-G)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कट्टीवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/116, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कट्टीवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(343-H)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भी, जिसका पंजीयन क्रमांक 09, दिनांक 26 फरवरी, 2011 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/117, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भी, जिसका पंजीयन क्रमांक 09, दिनांक 26 फरवरी, 2011 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री कमलसिंह गार्डे,



वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये।

(343-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/118, दिनांक 12 फरवरी, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा वेष्टित है का उपयोग करते हुए गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये।

**अम्बरीष वैद्य,**

उप-पंजीयक.

(343-J)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

दिनांक 02 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12)के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/894.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उप-पंजीयक/परिसमापन/2013/986, दिनांक 01 अगस्त, 2013 के द्वारा श्री साईनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खापाभाट (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/108, दिनांक 10 मार्च, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एस. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सोसायटी के सदस्यों का सामूहिक आवेदन दिनांक 12 मई, 2015 जिसमें सदस्यों द्वारा समिति को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर परिसमापक द्वारा सदस्यों के हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 30 मई, 2015 को आयोजित की गई जिसमें सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है. मेरी राय में सोसायटी सदस्यों के हित में सोसायटी को अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उप-पंजीयक/परिसमापन/986, दिनांक 01 अगस्त, 2013 को निरस्त करता हूँ एवं अस्थायी रूप से निम्नानुसार नामांकित कमेटी गठित करता हूँ:-

- |    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | श्री राधेश्याम शर्मा  | अध्यक्ष   |
| 2. | श्री कृष्ण गोपाल संघी | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री शंकरलाल साहू     | संचालक    |
| 4. | श्री मति वीणा शर्मा   | संचालक    |
| 5. | श्री अशोक श्रीवास्तव  | संचालक    |

उक्त नामांकित कमेटी को तीन माह की अवधि में सोसायटी के निर्वाचन पूर्ण कराएगी.

यह आदेश आज दिनांक 02 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

**दौलतराम गेडाम,**

उप-पंजीयक.

(344)

**कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर**

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., टुकराना	45/15-12-2004	520/06-05-2015

अतः मैं, आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आरिफ खान,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(345)

**कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर**

शाजापुर, दिनांक 19 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोनखुर्द	381/05-09-1986	521/06-05-2015
2.	माँ गायत्री सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बड़ौद	944/31-07-2006	522/06-05-2015

अतः मैं, योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

योगेश शर्मा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(346)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 2015-आषाढ़ 12, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), कोतमा (अनूपपुर), चुरहट, रामपुरनैकिन, (सीधी), सुबासराटप्पा, श्यामगढ़, सीतामऊ (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), तराना (उज्जैन), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), गैरतगंज, गोहरगंज (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेंवड़ा, दतिया (दतिया), पलेरा (टीकमगढ़), नौगाँव (छतरपुर), बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, केसली (सागर), जैतहरी, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझोली, कुसमी (सीधी), भानपुरा, मल्हारगढ़, मंदसौर, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), बाजना (रतलाम), खाचरौद (उज्जैन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बासोदा, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), रायसेन, बेगमगंज, बरेली, बाड़ी, सिलवानी (रायसेन), मझोली (जबलपुर), पांढुर्ना, बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोलारस (शिवपुरी), ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, छतरपुर, राजनगर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई (पन्ना), अनूपपुर (अनूपपुर), गोपदबनास (सीधी), गरोठ (मंदसौर), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), उदयपुरा (रायसेन), शाहपुर (बैतूल), सीहोरा, पाटन, कुन्डम (जबलपुर), नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, सौंसर, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील गौरीहार, बिजावर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई, आठनेर, आमला (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—

..

3. बोनी.—

..

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.—जिला कटनी में फसल तुअर व धार, इन्दौर, खरगौन, सीहोर व बैतूल में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, सागर, शहडोल, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुँरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	2.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुँरैना	3.0				
4. जौरा	2.0				
5. सबलगढ़	4.0				
6. कैलारस	3.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर, सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	..		(2) ..		
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	19.4		4. (1) गन्ना, उड़द, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	26.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	19.4				
4. घाटीगांव	18.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवदा	20.0		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	21.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	5.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	14.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	12.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	11.0				
4. नरवर	11.0				
5. करैरा	11.4				
6. कोलारस	48.4				
7. पोहरी	5.0				
8. बदरवास	15.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	12.0		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	4.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	14.0				
4. चन्देरी	14.0				
5. शाढौरा	..				
<b>*जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	12.0				
4. टीकमगढ़	15.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	18.0				
7. ओरछा	50.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	42.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	95.0		(2) ..		
3. नौगांव	30.1				
4. छतरपुर	42.6				
5. राजनगर	40.3				
6. बिजावर	89.0				
7. बड़ामलहरा	42.4				
8. बकस्वाहा	36.4				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	61.4		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	46.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	48.0				
4. पवई	38.0				
5. शाहनगर	13.0				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	10.6		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	7.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	20.0				
4. सागर	25.2				
5. रेहली	22.0				
6. देवरी	24.0				
7. गढ़ाकोटा	15.4				
8. राहतगढ़	10.5				
9. केसली	24.0				
10. मालथोन	3.2				
11. शाहगढ़	15.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना अधिक. मसूर, अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, अलसी, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	18.0				
2. अनूपपुर	37.3				
3. कोतमा	14.8				
4. पुष्पराजगढ़	32.8				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	27.5				
2. पाली	28.0				
3. मानपुर	33.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	41.4		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	33.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	26.6				
4. कुसमी	23.0				
5. चुरहट	8.5				
6. रामपुरनैकिन	5.6				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	9.1		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	25.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	..	
3. मल्हारगढ़	21.0				
4. गरोठ	38.2				
5. मन्दासौर	21.0				
6. श्यामगढ़	0.6				
7. सीतामऊ	8.4				
8. धुन्धड़का	30.0				
9. संजीत	31.0				
10. कयामपुर	28.4				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	7.0		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	8.0				
4. बाजना	21.5				
5. पिपलौदा	16.0				
6. रतलाम	7.8				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	30.0		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	10.0				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) चना कम. गेहूँ, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुशी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	26.0		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	50.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	40.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	9.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	13.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	15.2				
4. बासौदा	18.0				
5. नटेरन	15.0				
6. विदिशा	18.0				
7. गुलाबगंज	20.0				
8. ग्यारसपुर	16.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	12.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	15.10		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	18.8		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	8.2		(2) . .		
3. बेगमगंज	19.0				
4. गौहरगंज	10.0				
5. बरेली	33.0				
6. सिलवानी	26.4				
7. बाड़ी	27.5				
8. उदयपुरा	37.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	80.2		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	64.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. शाहपुर	42.6				
4. चिचोली	58.6				
5. बैतूल	55.8				
6. मुलताई	61.0				
7. आठनेर	63.5				
8. आमला	56.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मसूर तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	. .				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	45.8		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पाटन	46.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	68.0				
4. मझौली	34.6				
5. कुण्डम	45.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. तुअर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	70.7		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	80.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	65.4				
4. मण्डला	64.2				
5. घुघरी	114.8				
6. नारायणगंज	47.5				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	52.8		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. जुन्नारदेव	58.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	55.0				
4. जामई (तामिया)	55.3				
5. सोंसर	49.0				
6. पांढुर्णा	29.0				
7. अमरवाड़ा	40.4				
8. चौरई	46.0				
9. बिछुआ	26.30				
10. हरई	26.0				
11. मोहखेड़ा	51.8				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई- सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसीर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, गुना, देवास, बड़वानी, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(353)